

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी 2013


R- 2622- J13

शिवनारायण पिता नाथूलाल आयु लगभग
55 वर्ष, निवासी मालीखेड़ी, तहसील
आगर, जिला शाजापुर

..... आवेदक

विरुद्ध

1. बद्रीलाल पिता लालसिंह अहीर, निवासी
मालीखेड़ी, तहसील आगर, जिला
शाजापुर
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला शाजापुर (म.प्र.)
..... अनावेदकगण



335
31/5/2013

R- 11-6-13 and
11-6-13

कार्यालय अपर कलेक्टर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश के प्रदत्त
आदेश प्रकरण क्रमांक 66/स्व निगरानी/2012-13 व
पुराना प्र.क्रं. 76/स्व निगरानी/2010-11 बद्रीलाल
आवेदक विरुद्ध शिवनारायण अनावेदक के उन्वान के
प्रकरण में आदेश दिनांक 20/05/2013 को पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत
निगरानी आवेदन पत्र अंदर अवधि में।

माननीय महोदय,

प्रार्थी शिवनारायण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ
माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शाजापुर (म.प्र.) के द्वारा स्व निगरानी में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1622-एक/13

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश बाढिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	